भारत सरकार

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 650

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: डेयरी विकास को प्रोत्साहन

650. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि के साथ डेयरी विकास और पशुपालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने से उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो डेयरी विकास और पशुपालन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या किसानों को दूध का उचित दाम नहीं मिलता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूध हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तय न किए जाने के क्या कारण हैं और किसानों के बैंक खातों में सीधे लाभ की राशि पहुंचाने वाली कार्ययोजना का अनुपालन न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का किसानों को ब्याज रहित ऋण सहित उत्तम दुग्ध प्रदायक पशुधन उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) जी हां।

(ख) विभाग डेयरी विकास और गोपशु पालन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

(ii) राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण-I

(iii) डेयरी उद्यमिता विकास योजना

(iv) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

(v) राष्ट्रीय गोकुल मिशन

(ग) दूध के मूल्य का भुगतान दूध में वसा और/अथवा वसा रहित ठोस (सॉलिड नॉट फैट) (एसएनएफ) तत्व के आधार पर किया जाता है। अधिकांश डेयरी सहकारिताएं अपने उत्पादकों को उपभोक्ता रूपये के अधिकांश हिस्से (लगभग 60-80 प्रतिशत) का भुगतान करती हैं जोकि विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा, सदस्य किसान वार्षिक बोनस के साथ-साथ अनेक उत्पादन सेवाओं जैसे पशुचिकित्सा सेवायें, कृत्रिम गर्भाधान (एआई)

गोपशु आहार को सब्सिडीकृत दरों पर प्राप्त करते हैं और सहकारिताओं द्वारा वर्षभर बाजार की पहुंच रहती है।

(घ) सरकार दूध के मूल्यों को नियंत्रित नहीं करती है। मूल्य का निर्धारण सहकारिताओं और निजी डेयरियों द्वारा उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाता है। चूंकि दूध तेजी से खराब होने वाला उत्पाद है, इसलिए देश में दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु इस विभाग में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) विभाग 01.09.2010 से डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत अन्य घटकों के साथ-साथ लघु डेयरी यूनिटों की स्थापना करने (10 पशुओं तक), हीफर बछियों-संकर नस्ल (20 बछियों तक) को पालने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर से और एससी/एसटी किसानों को 33.33 प्रतिशत की दर से बैक एंडिड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

****